चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 10.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
(3). श्रावण मास के द्वितीय सोमवार एवं चल रही कावड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए आज अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, प्रयागराज श्री ज्योति नारायण द्वारा जनपद चित्रकूट के रामघाट क्षेत्र का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने जनपद के प्रसिद्ध मत्तगजेन्द्रनाथ मंदिर, रामघाट एवं निर्मोही अखाड़ा का स्थलीय निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

भ्रमण के दौरान महोदय के साथ पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस0, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय एवं अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

महोदय ने सर्वप्रथम मतगजेन्द्रनाथ मंदिर परिसर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से वार्ता की तथा मंदिर में की गई बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों, प्रवेश/निकास द्वार, खोया-पाया केंद्र एवं मेडिकल सहायता केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर मार्ग पर तैनात पुलिस बल को श्रद्धालुओं से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने एवं किसी भी संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।
इसके पश्चात रामघाट क्षेत्र एवं निर्मोही अखाड़ा पहुंचकर कावड़ियों के ठहरने, भोजन, पेयजल एवं शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने घाट पर गोताखोरों, पीएसी एवं जल पुलिस की तैनाती सुनिश्चित करने तथा रात में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर महोदय ने कहा कि श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहें, सोशल मीडिया पर अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखें तथा आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने हेतु डायवर्जन प्लान का कड़ाई से पालन कराया जाए।
(3). आज दिनांक 10.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता तथा क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात श्रीमती करिश्मा गुप्ता की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस पेंशनर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं एवं सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने सभी पेंशनर्स से अपने अनुभव एवं ज्ञान का उपयोग करते हुए समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। साथ ही पेंशनर्स को विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, कानूनी सहायता तथा शिकायत निवारण तंत्र संबंधी जानकारी प्रदान की गई। बैठक में उपस्थित पेंशनर्स को अपनी समस्याएं एवं अनुभव साझा करने का अवसर दिया गया। उनकी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
इस बैठक के माध्यम से पुलिस पेंशनर्स एवं पुलिस विभाग के मध्य संवाद एवं सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया, जिससे उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

(4). श्रावण मास के द्वितीय सोमवार एवं चल रही कावड़ यात्रा के दृष्टिगत हुए अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय द्वारा मत्तगजेन्द्रनाथ मंदिर, रामघाट एवं निर्मोही अखाड़ा का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा मत्त गजेन्द्रनाथ मंदिर परिसर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से वार्ता की तथा मंदिर में की गई बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों, प्रवेश/निकास द्वार, खोया-पाया केंद्र एवं मेडिकल सहायता केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर मार्ग पर तैनात पुलिस बल को श्रद्धालुओं से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने एवं किसी भी संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर 02 परिवारो में सुलह कराते हुए परिवारो को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती अंजू पत्नी हरिओम निवासिनी शिवरामपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट एवं श्रीमती मीनू सोनी पत्नी भरत सोनी निवासिनी द्वारिकापुरी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने अपने-अपने पति के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा,मारपीट व बच्चो के भरण पोषण करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी श्रीमती अनुपमा तिवारी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्री मती अनुपमा तिवारी

2.मुख्य आरक्षी महिला रजनी सिंह

3.आरक्षी सोनिका द्विवेदी

(6).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 वारण्टी अभियुक्तो को गिरफ्तार किया।

(1).उ0नि0 श्री राजेश कुमार कोतवाली कर्वी द्वारा अपराध संख्या 1068/12 धारा 147,325,323,504,506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त विनय पुत्र गरीबदास रैदास निवासी नई दुनिया मजरा बनकट कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री अंशुल कुमार व आरक्षी विपिन कुमार कोतवाली कर्वी द्वारा अ0सं0 506/18 धारा 498ए,323,504,506,406,354 भादवि व ¾ डीपी एक्ट के वारंटी हक्कानी उर्फ चुन्नू पुत्र हाफिज उल्ला निवासी कजियाना द्वारिकापुरी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). उ0नि0 श्री राम जी उपाध्याय व आरक्षी अजीजुद्दीन थाना मानिकपुर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 62/19 धारा 307,504,506 भादवि के वारंटी अभियुक्त केशव प्रसाद पुत्र श्री रामदयाल निवासी गुरोला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री रमेश चन्द्रतिवारी व आरक्षी सूरज यादव थाना राजापुर द्वारा अपराध सं0 113/21 धारा 395,342,412 आईपीसी के वारंटी अभियुक्त नीरज पुत्र शिवकुमार निवासी मिश्रन पुरवा मजरा चिल्लीराकस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). उ0नि0 श्री राजकुमार मय हमराह आरक्षी शाकिर अली थाना राजापुर द्वारा अपराध सं0 166/21 धारा 452,323,506 आईपीसी के वारंटी अभियुक्त शिवबरन पुत्र नानबाबू निवासी रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार धनेश मिश्रा व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 10.08.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 142/19 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त राजेश उर्फ अशोक कुमार यादव पुत्र राजबहादुर निवासी अतरसुई थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 1200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्ग विजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 10.08.2026 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 530/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त उमाकांत निषाद पुत्र स्व0 शंकर लाल निवासी कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 5901/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।